



सत्यमेव जयते

झारखण्ड गजट

असाधारण अंक

झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

6 चैत्र, 1945 (श०)

संख्या - 189 राँची, सोमवार,

27 मार्च, 2023 (ई०)

कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

अधिसूचना

4 मार्च, 2023

संख्या-4/विविध-10-01/2022 का.-1364--श्री अरविन्द कुमार, से०नि०, भा०प्र०से०, श्री विनोद कुमार, से०नि०, भा०प्र०से० तथा श्री रमाकान्त सिंह, से०नि०, भा०प्र०से० को विभागीय ज्ञापांक 752 दिनांक 03.02.2021 द्वारा विभागीय जाँच पदाधिकारी के पद पर नियुक्त किया गया था एवं विभागीय अधिसूचना संख्या 981 दिनांक 21.02.2022 द्वारा दिनांक 04.02.2022 से 03.02.2023 तक संविदा अवधि विस्तारित की गई थी। पुनः संविदा अवधि विस्तारित करने के संबंध में श्री अरविन्द कुमार, श्री विनोद कुमार एवं श्री रमाकान्त सिंह के द्वारा समर्पित आवेदन पर सम्यक विचारोपरान्त उक्त पद पर उनकी संविदा अवधि दिनांक 04.02.2023 से 03.02.2024 तक एक वर्ष के लिए विस्तारित की जाती है।

2. उपर्युक्त पदाधिकारी कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग, झारखण्ड, राँची के प्रशासी नियंत्रण में कार्य करेंगे ।

3. संविदा की अवधि में उपर्युक्त पदाधिकारियों को योजना-सह-वित्त विभाग के संकल्प संख्या 1243 दिनांक 28.04.2016 में विहित प्रावधान के आलोक में मानदेय आदि का भुगतान किया जायेगा।

4. उपर्युक्त पदाधिकारी विभागीय आदेश संख्या 8273 दिनांक 29.12.2022 द्वारा आवंटित विभाग के जाँच पदाधिकारियों के रूप में कार्यों को निष्पादन करेंगे ।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

रंजीत कुमार लाल,
सरकार के संयुक्त सचिव ।
